न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

ा नम्बर 11 / 2021

दायर दिनांक–12.01.2021

1. सुनिता पत्नी गुलझारी
2. मनीषा पुत्री गुलझारी जाति जाट निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़
3. निशा पुत्री गुलझारी
4. विक्की पुत्र गुलझारी नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुनिता पत्नी गुलझारी जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. रामप्यारी पत्नी फूलचंद
6. रामनारायण पुत्र फूलचंद
7. सत्यनारायण पुत्र फूलचंद
8. मालीराम पुत्र भूरांराम जाति जाट निवासीगण सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. गीता पत्नी गोविन्दराम
2. राजेश पुत्र गोविन्दराम
3. मुन्नी पुत्री गोविन्दराम
4. डोली पुत्री गोविन्दराम
5. संतोष पुत्री गोविन्दराम
6. पालाराम पुत्र भैरू
7. ओमप्रकाश पुत्र भैरू जाति महाजन निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री चंद्रकांत शर्मा
वकील प्रतिवादी :– श्री फारूक अहमद

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–10.01.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम सौंथली की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 760 रकबा 0.94 है0 वादी संख्या 01 लगायत 04 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी 06 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 07 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण व उसके बुर्जुग भैरू पुत्र झूंथा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में भूमि का विक्रय नही करें ना ही वादीगण को बेदखल नही करें तथा भूमि को खुर्द बुर्द नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज र[illegible]गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के [illegible] हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी [illegible] चिफ के सपथ पत्र पेश कि[illegible] वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल ज[illegible] सम्वत् 2075–78 प्रदर्श 2 असल विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1971 प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2060–63 प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–66 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2043–46 प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2028–31 प्रदर्श 9 जमाबंदी सम्वत् 2016–2018,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:23:45 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

प्रदर्श 10 नकल जमाबंदी सम्वत् 2016–18 प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2012–15 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1971 से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि भैरू पुत्र झूथा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्योम्हालाराम को विक्रय की गई थी जो कि वादीगण के पूर्वज है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सौंथली की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 760 रकबा 0.94 है0 वादी संख्या 01 लगायत 04 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी 06 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 07 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से से प्रतिवादीगण व उसके बुर्जुग भैरू पुत्र झूंथा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:23:45 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:–11/2021

(सुनिता बनाम गीता आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सौंथली की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 760 रकबा 0.94 है0 वादी संख्या 01 लगायत 04 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी 06 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 07 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से से प्रतिवादीगण व उसके बुर्जुग भैरू पुत्र झूंथा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:23:45 IST
Reason: SelfAttested